संख्या– 483/2018/ 1584 /69–1–2018–14(139)/2015 टीसी

प्रेषक,

मनोज कुमार सिहं,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ दिनांक 04 सितम्बर, 2018**

विषय:प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर) तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सलटेन्सी (पी0एम0सी0) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–866/2016/2916/69–1–16–14(139)/2015 टीसी दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा प्रदेश के नगर निकायों में डी0पी0आर0 तैयार करने एवं पी0एम0सी0 हेतु एजेन्सियों को नामित करने एवं उनके कार्य(वर्क) दायित्व के विवरण के साथ-साथ उसके दरों का निर्धारण भी किया गया है। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रति आवास डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु रू0 3750.00 तथा प्रति आवास पी0एम0सी0 हेतु रू0 6875.00 यानि कुल रू0 10625.00 प्रति आवास का अधिकतम व्यय नियत किया गया है। डी0पी0आर0 बनाने वाले कन्सलटेन्ट का स्कोप आफ वर्क तथा पी0एम0सी0 का कार्य व दायित्व संलग्न-। पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें प्रत्येक शहरी गरीब को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।

3. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार करने एवं पी0एम0सी0 के लिये जो एजेन्सियां चयनित की गयी हैं, उनके बारे में जिलाधिकारीगण द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करने की वजह से लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हो रही है। यह भी अवगत कराया गया है कि इन एजेन्सियों के प्रतिनिधि जनपद में उपलब्ध नहीं हो पाते तथा आवश्यकतानुसार मानव शक्ति को भी कार्य में नहीं लगाते। अभी तक राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन में डी0पी0आर0 व पी0एम0सी0 हेतु जो एजेन्सियां चयनित हैं, उनका मण्डलवार विवरण निम्नवत् है:-

क्रमशः......2

S.N	Name of Consutant	Correspondence Address	Commissionary	Rate of DPR	Rate of PMC	Total Amount
1	Saryu Babu Engineers India Private Limited	2nd Floor, 7/23, Sector-7,Gomti Nagar Extension,Near UP 100 Dial Office, Amar Shaheed Path,Lucknow 9654232332, 9076557655	Agra, Gorakhpur, Varanasi	3699 3699 3699	6783 6783 6782	10482 10482 10481
2	Saryu Babu Engineers for Resource Development	2nd Floor, 7/23, Sector-7,Gomti Nagar Extension,Near UP 100 Dial Office, Amar Shaheed Path,Lucknow 9999570700	Bareily, Aligarh, Mirzapur	3699 3699 3699	6783 6782 6782	10482 10481 10481
3	Creative Consortium	2nd Floor, 7/23, Sector-7,Gomti Nagar Extension,Near UP 100 Dial Office, Amar Shaheed Path,Lucknow 9818833840	Azamgarh, Basti, Devipatan	3290 3658 3600	6310 6707 6700	9600 10365 10300
4	Snow Fountain Consultants	5/259, Vikas Nagar, Lucknow - 226022, UP 9415001208 7860029535	Lucknow, Faizabad, Allahabad, Kanpur	3725 3730 3730 3740	5475 5880 5880 5620	9200 9610 9610 9360
5	Rudrabhishek Enterprises Private Limited	A-6, Sector-58, Noida - 201301, UP 8210196285	Meerut, Moradabad , Chitrakoot	3705 3705 3705	6792 6792 6792	10497 10497 10497
6	WAPCOS Limited	76-C, Institutional Area, Sector - 18, Gurgaon - 122015, Haryana 9873496751	Jhansi	179	5200	5379
7	Space Combine	A-1/112, Second Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029 9810011104, 9717894128	Saharanpur	3700	6500	10200
New Agencies (July, 2018)						
8	Jayesh A. Dalal	"Jalaram Shakti", Beside Dhavalgiri Apartment, Nr. Lourdes Convent School, Athwalines, Surat - 395001, Gujarat 9727742204	Agra, Kanpur	2000 3100	5895 3500	7895 6600
9	Hi-Tech Builders	21/156, Behind Sethi Medical Hall, Rewa, MP 7985834046	Allahabad, Chitrakoot	3100 3100	3500 3500	6600 6600
10	ARINEM Consultancy Services Private Limited	1st Floor, Aksh II, 31 Gokhale Marg, Lucknow - 226001, UP 9415305084	Lucknow, Meerut	3750 3750	3600 3600	7350 7350

4 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार करने व पी0एम0सी0 हेतु उपरोक्त नामित एजेन्सियों में से जिलाधिकारी अथवा नामित अधिकारी किसी एजेन्सी का चयन अपने जनपद में कार्य हेतु कर सकते हैं। उक्त दोनों मदों हेतु सम्बन्धित कार्यों के संतोषजनक होने की स्थिति में जनपद के लिये अनुमोदित न्यूनतम दरों के अनुसार एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा। जिलाधिकारीगण अथवा नामित सीडीओ/एडीएम स्तर के अधिकारी आवश्यकतानुसार नये कन्सलटेन्ट का चयन भी कर सकते हैं। माडल आर0एफ0पी0 वेबसाईट www.sudaup.org पर उपलब्ध है।

क्रमशः......3

5. वर्ष 2009 में USHA (Urban Statistics For HR & Assessments) द्वारा जो सर्वे किया गया था और सर्वे के अनुसार जो शहरी कच्चा व अर्द्ध पक्का मकान पाये गये थे, उनकी संख्या की सूचना/विवरण जनपदवार संलग्न करते हुये यह भी कहना है कि इन परिवारों में से प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन हेतु पात्र व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है। इन परिवारों का पूर्ण विवरण वेबसाईट www.sudaup.org पर उपलब्ध है।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन में किसी कारणवश पात्र लाभार्थी चयनित होने से वंचित रह गये हैं, तो इसके लिये अलग से शहरी क्षेत्रों में अभी एक सर्वे कराया गया है। सर्वे के पश्चात् जो सूची प्राप्त हुई है, उससे भी प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन हेतु लाभार्थियों का चयन किया जा सकता है।

7. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में केंद्र सरकार के पोर्टल pmaymis.gov.in पर निकायवार लॉगिन कर कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) के माध्यम से लाभार्थियों द्वारा आवास हेतु आवेदनों की सूची प्राप्त कर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है। पोर्टल pmaymis.gov.in के निकायवार लॉगिन का पासवर्ड संबंधित परियोजना अधिकारी, डूडा से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी दशा में कन्सलटेन्ट को दी जाने वाली धनराशि रू0 10625.00 प्रति आवास से अधिक नहीं होगी।

8. दिनांक 15.09.2018 तक सूडा को उपलब्ध करायी गयी डी0पी0आर0 के सापेक्ष कार्य का भुगतान सूडा स्तर से होगा। तदोपरान्त सूडा में सबमिट किये जाने वाले डी0पी0आर0 हेतु जिलाधिकारी द्वारा चयनित कन्सलटेन्ट को भुगतान जिले की अनुशंसा पर सूडा स्तर से होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 5.9.18

(मनोज कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या—483/2018/1584(1)/69—1—2018 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:—

1. महालेखाकार, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
11. सहायक वेब मास्टर सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. बजट समन्वयक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

<u>संलग्नक-।</u>

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण एवं आवास विस्तार के अन्तर्गत डी0पी0आर0 बनाने वाले कन्सल्टेन्ट का स्कोप आफ वर्क तथा पी0एम0सी0 का कार्य व दायित्व।

(अ) डी0पी0आर0 का स्कोप आफ वर्कः-

(1) शत प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन।

(2) लोकेशन प्लान, स्थल का ले-आउट व सर्विस प्लान तैयार करना।

(3) लाभार्थीवार डिटेल वर्किंग ड्राईंग तैयार करना।

(4) डिटेल कास्ट स्टीमेट बनाना।

(5) वर्तमान व प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण तैयार करना।

(ब) परियोजना अनुश्रवण कर्त्ता कन्सलटेन्ट (पी0एम0सी0) का कार्य व दायित्व-

(1) पी0एम0सी0 लाभार्थी को गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने में सहमति करेगी, इ0 सके साथ ही कराये जा रहे कार्य का अनुश्रवण करेगी।

(2) पी0एम0सी0 कार्यों की गुणवता के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(3) पी0एम0सी0 लाभार्थी से अनुबन्ध के अनुसार निर्माण कार्य को विभिन्न स्तरों जैसे प्लिंथ तैयार छत लेवल, फाइनल किनिशिंग कार्य के आधार पर लाभार्थी को समय से वित्तीय सहायता निर्गत कराने में सहयोग करेगी, जिससे कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जा सकें।

(4) आवासों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट भी पी0एम0सी0 द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) पी0एम0सी0 द्वारा प्रत्येक आवास की लाभार्थीवार फाईलें तैयार करायी जायेगी तथा आवास निर्माण के विभिन्न चरणों के फोटोग्राफ भी संकलित कर प्राप्त किये जायेंगे।

(6) जियो टैगिंग का कार्य भी पी0एम0सी0 द्वारा किया जायेगा।

(7) पी0एम0सी0 द्वारा कार्य की प्रगति का कैशफलो चार्ट एवं बार चार्ट वास्तविक शिड्यूल के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) प्रोजेक्ट के अन्य अनुश्रवण सम्बन्धी समस्त कार्य पी0एम0सी0 द्वारा किया जायेगा।